महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या– 401 /आठ–1–23–1446/2023

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2023**

विषयः– शासकीय/सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने हेतु आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग–5 के पत्र संख्या–358/23–5–23–05(सा0)/2023 दिनांक 06.04.2023 (छायाप्रति संलग्नक) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सार्वजनिक/शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2023 को सम्पन्न बैठक सम्बन्धी दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के कार्यवृत्त पत्र दिनांक 29.03.2023 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है :–

"शासकीय/सार्वजनिक भवनों दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्गत हार्मोनाईज्ड गाईड लाईन्स एण्ड स्टैंडर्ड फॉर युनिवर्सल एक्सेसबिलिटी इन इण्डिया–2021 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिये निर्माण कार्य से सम्बन्धित सभी कार्यदायी संस्थाओं/पुलिस आवास निगम आदि का प्रशिक्षित कया जाना आवश्यक है ताकि कार्यदायी संस्थाओं को यह ज्ञात रहे कि उन्हें किस प्रकार भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/सुगम्य बनाना है। निर्माण कार्य से सम्बन्धित सभी कार्यदायी संस्था को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित किये जाने की कार्यवाही की जाय।"

2– उक्त के क्रम प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय), उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय स्थित सभाकक्ष/मीटिंग हाल में दिनांक 17.04.2023 को अपरान्ह् 02.00 बजे प्रशिक्षण आहूत किया गया है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने अभिकरण के अभियंतागण को प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,
13/4/23
(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

E:\GO\2022

प्रशिक्षण दिनांक 17.04.2023

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-5
संख्या- 358 /23-5-23-05(सा0)/2023
लखनऊ : दिनांक 06 अप्रैल, 2023

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, समाज कल्याण विभाग,
नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
सहकारिता विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा गृह विभाग।

सार्वजनिक/शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैशी बनाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2023 को सम्पन्न बैठक सम्बन्धी दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के कार्यवृत्त पत्र दिनांक 29.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के उक्त कार्यवृत्त पत्र दिनांक 29.03.2023 में निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

"शासकीय/सार्वजनिक भवनों दिव्यांगजन हितैशी बनाये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्गत हार्मोनाईज्ड गाईड लाईन्स एण्ड स्टैंडर्ड फॉर युनिवर्सल एक्सेसबिलिटी इन इण्डिया-2021 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिये निर्माण कार्य से सम्बन्धित सभी कार्यदायी संस्थाओं/पुलिस आवास निगम आदि को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि कार्यदायी संस्थाओं को यह ज्ञात रहे कि उन्हें किस प्रकार भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/सुगम्य बनाना है। निर्माण कार्य से सम्बन्धित सभी कार्यदायी संस्था को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित किये जाने की कार्यवाही की जाय।"

3- अतएव उक्त के क्रम में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग(मुख्यालय), उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय स्थित सभाकक्ष/मीटिंग हाल में दिनांक 17.04.2023 को अपरान्ह 02.00 बजे प्रशिक्षण आहूत किया गया है।

4- अतएव अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी/अभियन्ताओं को उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(रामधारी ...)
निजी सचिव,
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन वि...

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको(पूववर्ती नाम समाज कल्याण निर्माण निगम), लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ।

3- निदेशक, आवास विकास परिषद, लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, लैकफेड(सहकारिता विभाग), लखनऊ।

5- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस एवं आवास विकास निगम लि0, लखनऊ।

7- निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रशिक्षण हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित को सूचित कराते हुए प्रशिक्षण सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

9- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

SY-UO-2022-23